

अनुमति-पत्र

સં૦297/ન૦ અ૦ વિ૦

दिनांक 19-11-11

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल 30 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री दया शंकर सिंह

पिता/पति का नाम श्री अराजी संख्या २१/५८ मौजा परिज

वार्ड ७ में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन

चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक 20



नगर अभियन्ता (भवन)

विकास कर्तेव्यक्त, वाराणसी ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण

वाराणसी

नोट : 1- यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिये है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्त्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी झाँप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3. मकान निर्माण से यदि नाली सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूलस के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिये। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6. यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

- यदि किसी पत्र के देवर किसी प्रकार थनमति दे दे गार्द तो वह भी वैध अनमति पत्र नहीं माना जायेगा

शर्तें

- 1- आपको 15 प्रतिशत भाग पर प्रति हेक्टेयर की दर से कुल 39 पेड़ लगाना होगा।
- 2- आपको मानक के अनुसार स्थल पर रेनवाटर हावीस्टेज की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 3- आपको मुख्य अगनीशमन अधिकारी के पत्र दिनांक 22.10.11 द्वारा निर्गत की गयी अनापी त्त में उल्लेखित शर्तों का शतप्रतिशत अनुपालन करना होगा।
- 4- भवन के ढाचा की सुरक्षाव्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदार भवन स्वामी एवं स्वरूपतर इंजीनियर की हो गी।
- 5- आपको किसी प्रकार का वाइयोलेज नियमानुसार सम्बन्धित विभाग से अनुमति प्राप्त कर करना होगा।
- 6- शासनादेश संख्या 570/9-आ-1 भूकम्प रोधी/2001/आ.ब. दिनांक 3.2.2001 एवं शासनादेश संख्या 772/9-आ-1 भूकम्परोधी/2001/आ.ब. दिनांक 13.2.2001 के अनुसार भूकम्परोधी व्यवस्थाओं को पूर्ण करना होगा।
- 7- आपको स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
- 8- भवन निर्माण सामग्री अपने भूमि पर रखे हेतु शपथ पत्र दिया गया है जिसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- 9- सौर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाना होगा।

19/11/11
नगर अभियन्ता (भवन)
विकास प्राधिकरण, वाराणसी।